

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1226/सत्रह/वि-1-2१क१
 28-1995 दिनांक 11 जुलाई, 1995 के अनुसार महामहिम राज्यपाल एवं
 कुलाधिपति उत्तर प्रदेश ने संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड 1 में प्रदत्त
 शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम
 1973 की धारा- 4 की उपधारा १2 में संशोधन करने की दृष्टि से उत्तर
 प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय १द्वितीय संशोधन अध्यादेश 1995 प्रस्थापित किया
 है जिसकी धारा 3 की उपधारा १ख के अनुसार इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने
 के दिनांक 11 जुलाई, 1995 से "काशी विद्यापीठ वाराणसी" का नाम
 "महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी" हो गया है ।

अतः अब भविष्य में समस्त पत्राचार "महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
 वाराणसी" के नाम से किया जाय ।

(Handwritten Signature) 28/7/95

१आर०पी० सिंह

उपकुलसचिव

कृते- कुलसचिव

उसी तिथि को

संख्या-कु0स0/2258 नाम संशो0/95

प्रतिलिपि सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-


- 1- कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।
- 2- कुलपति, भारत के समस्त विश्वविद्यालय ।
- 3- अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफरमार्ग, नई दिल्ली ।
- 4- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली ।
- 5- सचिव, महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति निवास, नई दिल्ली ।
- 6- सचिव, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 7- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफरमार्ग, नई दिल्ली ।
- 8- सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली ।
- 9- सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
- 10- विल्लत अधिकारी, काशी विद्यापीठ ।
- 11- कुलसचिव, भारत के समस्त विश्वविद्यालय ।
- 12- सहायक संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष ।
- 13- मुख्य विनयाधिकारी/मुख्य मुद्रादि ।
- 14- उपकुलसचिव परीक्षा/गौरनीच/सेवा ।
- 15- सहायक कुलसचिव यूनिट/विल्लत ।

श्री विनोद कुमार, 5काली, संगणक केंद्र,

सूचना विश्वविद्यालय के नाम पर लिखी गई सूचना को प्रकाशित करने के लिए
 23/7/95 पर अनुमति को देकर

(Handwritten Signature) 23/7/95

- 16- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
- 17- डी0आई0जी0, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
- 18- जिलाधिकारी, वाराणसी ।
- 19- एस0एस0पी, वाराणसी ।
- 20- प्रशासक, नगर निगम, वाराणसी ।
- 21- उच्च शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 22- निदेशक, स्थानीय निधि सेवा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 23- संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
- 24- उपशिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
- 25- उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, वाराणसी ।
- 26- जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी ।
- 27- जिला कोषागार अधिकारी, वाराणसी ।
- 28- प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी, वाराणसी ।
- 29- प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, इंग्लिशियन लाईन, वाराणसी ।
- 30- शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, विस्तार पटल, काशी विद्यापीठ ।
- 31- प्रबन्धक, सेण्ट्रल बैंक, नगर निगम, वाराणसी ।
- 32- प्रबन्धक, नगरीय सहकारी बैंक, रामगढीरा, वाराणसी ।
- 33- प्रबन्धक, केनारा बैंक, तारनाथ, वाराणसी ।
- 34- प्रबन्धक, समूहिक जीवन बीमा निगम, लखनऊ ।
- 35- प्रबन्धक, भारतीय जीवनबीमा निगम, मेल्लुर, वाराणसी ।
- 36- काशी विद्यापीठ के सशस्त कार्यालय प्रभारी ।

 28/7/15


॥ आर0पी0 सिंह ॥

उपकुलसचिव

कृते-कुलसचिव

सम्पादक सहोदय,

दैनिक समाचार पत्र- आज/दैनिकजागरण, / जनवार्ता/गांडीव/ राष्ट्रीयसहारा, भारतदूत/स्वतन्त्रभारत/न्यायधीश वाराणसी को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना अपने दैनिक समाचारपत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

 28/7/15

॥ आर0पी0 सिंह ॥

उपकुलसचिव

कृते-कुलसचिव